

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

15

सेवामें,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल ऑडिटर,
देहरादून।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07

देहरादून:दिनांक: 08 जून, 2010

विषय:--अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुए पेंशनर्स की पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 503/XXVII(7)/2010 दिनांक 26, मई 2010 के तृतीय पंक्ति में प्राधिकार पत्र दिनांक 09-01-2010 के स्थान पर दिनांक 08-11-2000, पढ़ा जाए।

2- शासनादेश संख्या: 503/XXVII(7)/2010 दिनांक 26, मई 2010 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त

श्री निती (CCM call)
17/6/10
22/06/10